



महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

कार्यालय : फोन : 07682-244442, फैक्स : 07682-244442
E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com
mcbu.academic@gmail.com

क्रमांक/अकादमिक/निरंतरता/ A283 /2025

छतरपुर दिनांक 7-5-25

अधिसूचना

माँ शारदा महाविद्यालय, पन्ना रोड जिला छतरपुर(म०प्र०) को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (Xii) एवं 26 (1) (V) एवं धारा 35 (j) के अंतर्गत सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान की गई थी।


परिनियम 27 के प्रावधानों के अंतर्गत महाविद्यालय द्वारा निरंतरता की बकाया शुल्क जमा करने के फलस्वरूप सत्र 2025-26 के लिए महाविद्यालय को विवरणानुसार निरंतरता निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

क्र०	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	रिमाक
सत्र - 2025-26			
1.	माँ शारदा महाविद्यालय, पन्ना रोड जिला छतरपुर(म०प्र०)	बी.एड.	निरंतरता
		बी.ए.बी.एड.	निरंतरता

शर्त :-

1. महाविद्यालय को परिनियम 28 एवं UGC व NCTE के प्रावधानानुसार शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की पूर्ति पूर्ण करना होगी।
2. महाविद्यालय को परिनियम 27 में उल्लेखित सभी प्रावधानों की पूर्ति एवं पालन करना होगा।
3. परिनियम 27 व 28 में उल्लेखित समस्त समितियों की बैठक करायी जाये व प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त नियम समय पर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. शासन द्वारा जारी अकादमिक कलेंडर का पालन महाविद्यालय को अनिवार्यतः करना होगा।
5. समन्वय समिति की 100 वीं बैठक के निर्णयानुसार सत्र 2023-24 से निर्धारित की गयी सम्बद्धता एवं निरंतरता शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद में लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा आकस्मिक रूप से महाविद्यालय का निरीक्षण कराने में कमी पाये जाने पर सम्बद्धता व निरंतरता समाप्त की जा सकती है।
7. म०प्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं NCTE तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों का महाविद्यालय को पालन सुनिश्चित करना होगा।
8. NCTE द्वारा जारी मान्यता पत्र में उल्लेखित की गयी समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
9. NCTE द्वारा निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश दिये जाये तथा इन सीटों के अनुसार सभी आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक सुविधायें सुनिश्चित की जायें।
10. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं समस्त नियम यथावत लागू होंगे।
11. उच्च शिक्षा विभाग, एन.सी.टी.ई. तथा अन्य रेगुलेटरी संस्थाएं एवं विश्वविद्यालय को समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी, जो विश्वविद्यालय में संचारित है के आधार पर दी जा रही है। इन जानकारियों में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य/अध्यक्ष/सचिव पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
12. किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ०क्रमांक/अकादमिक/निरंतरता/ AR84/2025
प्रतिलिपि:-

छतरपुर दिनांक 7-5-25

01. निज सचिव के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन भोपाल (म०प्र०)
02. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग सागर संभाग सागर (म०प्र०)
03. प्राचार्य शासकीय अग्रणी महाविद्यालय छतरपुर जिला छतरपुर (म०प्र०)
04. प्राचार्य माँ शारदा महाविद्यालय, पन्ना रोड जिला छतरपुर (म०प्र०)
05. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि० वि० छतरपुर (म०प्र०)
06. उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि० वि० छतरपुर (म०प्र०)
07. वेबसाइट प्रभारी की ओर वि०वि० की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
08. मूल नस्ती हेतु।


सहायक कुलसचिव
(अकादमिक)